न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम तरवारिया बांरा तहसील फुलियाकलां

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 96/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 रामू पत्नि कैलाश गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

.... प्रार्थी

बनाम

1 रूपी पत्नि राजु गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 मिश्रीलाल पिता राजु गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 मेवाराम पिता राजु गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 गुदडमल पिता राजु गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5 सोजीराम पिता राजु गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
6 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– प्राथी स्वयं
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

निर्णय

दिनांक 01.11.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 16.07. 2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 1086 के आराजी संख्या 939, 943 किता 2 रकबा 2.04 हैक्ट. प्रार्थीया के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीया के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीया शुरूआत से अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगणों द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षीगणों की आराजी संख्या 668, 665, 660, 661 की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बावत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:46:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
फुलिया कलां (भील.)

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 668, 665, 660, 661 में से भूमि की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 26.08.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें।

इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम तस्वारिया बांसा दिनांक 01.11.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा विहित समायावधी में जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से विरूद्ध विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। शिविर में मौजूद प्रार्थीया ने अपने अभिवचनों से प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें रास्ता कायमी हेतु ग्राम सांगरिया स्थित आराजी संख्या 668 रकबा 0.10 हैक्टे. में से 0.050 हैक्टे. (504 वर्गमीटर), आराजी संख्या 665 रकबा 0.30 हैक्टे. में से 0.11 हैक्टे. (1104 वर्गमीटर), आराजी संख्या 660 रकबा 0.79 हैक्टे. में से 0.040 हैक्टे. (408 वर्गमीटर), आराजी संख्या 661 रकबा 0.29 हैक्टे. में से 0.008 हैक्टे. (84 वर्गमीटर) कुल 2100 वर्गमीटर अर्थात 0.21 हैक्ट. को प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले अधिक सुगम एवं निकटतम प्रस्तावित किया गया है। अप्रार्थीगण को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीया को आराजी संख्या 668, 665, 660, 661 में से 0.21 हैक्टे. (2100 वर्गमीटर) का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजीयात में से रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थीया को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगणो ने प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप जवाब प्रस्तुत नही किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगणों को कोई भारी क्षति होगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:46:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
फुलिया कलां (भील.)

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा 20 फिट का रास्ता चाहा गया है, परन्तु कृषि कार्य के लिए आवागमन हेतु 4 मीटर चौडा रास्ता पर्याप्त है। अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा व क्षति हो एवं अप्रार्थीगण की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इसलिए प्रस्तावित 4 मीटर चौडे रास्ते को आधार मानते हुए ग्राम सांगरिया स्थित आराजी संख्या 668 रकबा 0.10 हैक्टे. में से 0.033 हैक्टे. (336 वर्गमीटर), आराजी संख्या 665 रकबा 0.30 हैक्टे. में से 0.073 हैक्टे. (736 वर्गमीटर), आराजी संख्या 660 रकबा 0.79 हैक्टे. में से 0.027 हैक्टे. (272 वर्गमीटर), आराजी संख्या 661 रकबा 0. 29 हैक्टे. में से 0.005 हैक्टे. (56 वर्गमीटर) कुल 1400 वर्गमीटर अर्थात 0.14 हैक्ट. निकटतम एवं सुविधाजनक तथा न्यूनतम क्षति के मद्देनजर नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम सांगरिया स्थित आराजी संख्या 668 रकबा 0.10 हैक्टे. में से 0.033 हैक्टे. (336 वर्गमीटर), आराजी संख्या 665 रकबा 0.30 हैक्टे. में से 0.073 हैक्टे. (736 वर्गमीटर), आराजी संख्या 660 रकबा 0.79 हैक्टे. में से 0.027 हैक्टे. (272 वर्गमीटर), आराजी संख्या 661 रकबा 0.29 हैक्टे. में से 0.005 हैक्टे. (56 वर्गमीटर) कुल 1400 वर्गमीटर अर्थात 0.14 हैक्ट. भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 668, 665, 660, 661 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.14 हैक्टेयर (1400 वर्गमीटर) मालियत राशि की तिगुनी राशि 1,21,715/– रूपये (0.14 हैक्टयर की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम तस्वारिया बांसा के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
फुलिया कलां (भील.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:46:42 IST
Reason: SelfAttested